न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–44/2018–19

ठाकुर प्रसाद गुप्ता..अपीलार्थी

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू...प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
08.08.18	अपीलार्थी ठाकुर प्रसाद गुप्ता, पिता–स्व० बद्री प्रसाद गुप्ता, ग्राम–पोड़ाडीह, डाकघर–सालगाडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–233 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–03/02/2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।	

भूमि विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू/0028	1239	347	4.33 डी०

अपीलार्थी सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी का कहना है कि मैंने उपरोक्त वर्णित भूमि विक्रेता रविन्द्र नाथ महतो, पिता–स्व० लखीचनण महतो, ग्राम–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची से निबंधित पट्टा सं०–287/284 दिनांक–07/01/2011 द्वारा क्रय किया है। अंचल अधिकारी बुण्डू द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि का दाखिल खारिज यह कहते हुए अस्वीकृत कर दिया गया कि नामांतरण आवेदन में निबंधित पट्टा के अनुसार निबंधन संख्या गलत है।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–233 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–03/02/2018 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार नामांतरण आवेदन में निबंधित पट्टा के अनुसार निबंधन संख्या गलत है। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया। अपीलार्थी द्वारा समर्पित दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत ज्ञात होता है कि आवेदन में निबंधन तिथि का गलत दर्ज होना लिपिकीय भूल है जिसके कारण नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि उक्त लिपिकीय भूल सुधार करते हुए अपीलार्थी को सुनकर उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जाँच पड़ताल करते हुए आवेदित भूमि का दाखिल खारिज अपीलार्थी के नाम से करने हेतु नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

08/08/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

08/08/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।